न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 177/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

किशुन प्र0 यादव वगै0 ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

सहदेव यादव वगै0 ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

24-1-25

अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन (पत्रांक 1168 दिनांक 31.12.2024) के अवलोकन से संतुष्ट होकर लोक परिशांति भंग होने की आशंका पर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत् निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	अंचल	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
प्रतापपुर	बिरनी	41	785	13.40 एकड़
चौहद्दी :	उ0- सीमाना कुबरी मौजा, द0- उत्तीम महतो का मकान, पू0- शनिचर महतो एवं अन्य का खेत, प0- तालाब,			

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। आवेदक प्रथम पक्ष किशुन कुमार यादव वगैरह के आवेदन का अवलोकन किया। उक्त आवेदन के अनुसार विवादग्रस्त भूमि सार्वजनिक वो सरकारी भूमि है जिसका उपयोग स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अडवार, खेल मैदान इत्यादि के रूप में किया जाता रहा है। द्वितीय पक्ष के लोग फर्जी दस्तावेज के जरिए गृह निर्माण कार्य कर उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करना चाह रहे है जिस कारण विवाद उत्पन्न हुआ है।

वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष के पक्षकार सं0- 01 सहदेव यादव द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया है कि वादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है तथा पूर्वज अकल महतो को बाबू महेश्वरी प्रसाद ना0

देव. सा0 धनवार से हासिल है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय बिरनी के पंजी-II भाग सं0 04 पृष्ठ सं0 194 पर कायम है तथा लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा की छायाप्रति, तीन लगान रसीद की छायाप्रति, एक ऑफलाइन पंजी-II की छायाप्रति दाखित करते है।

अंचल अधिकारी, बिरनी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा किस्म परती कदीम है। अंचल अधिकारी बिरनी यह भी प्रतिवेदित करते है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास द्वितीय पक्ष कर रहे है जिस कारण विवाद होने तथा शांति भंग होने की संभावना है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन, लिखित अभिकथन, राजस्व कागजातों के अवलोकन तथा अंचल अधिकारी बिरनी के प्रतिवेदन के अध्ययन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि विवादग्रस्त भूमि गैरमजरूआ खाते की है तथा किस्म जमीन परती कदीम है। जिस पर द्वितीय पक्ष राजस्व कागजातों के जरिए अपना दावा कर रहे हैं। उक्त परिस्थिति में अंचल अधिकारी बिरनी को चाहिए कि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संबंधी दावे की सुक्ष्मता से जाँच करते हुए विधिसम्मत् निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे। यदि जमाबन्दी संदिग्ध है तो झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम के धारा 4(h) के तहत कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे तथा यदि जमाबन्दी की पुष्टि नहीं होती है तो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 के तहत विधिसम्मत विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी बिरनी तथा ओ0पी0 प्रभारी भरकट्ठा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

27/1/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

27/1/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.05.27 11:02:03 +05:30
Location: 192.168.1.6